111. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों द्वारा विलयन और अर्जन के निर्णय।

सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से नीति के अनुसरण में सरकार ने साधारणतया केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कि यूनिटों में अनुप्रयोग के लिए विभिन्न मुद्दों पर समय–समय पर स्वायतता और प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रदान करने और नवरत्न और लघु रत्नों को भी विशेष प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रदान करने के अपने निर्णय की घोषणा की।

2. तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यायोजित शक्तियों में विलयन और अर्जन के विषय पर निर्णय लेने की शक्ति शामिल नहीं है। अतः केन्द्र सरकार के लोक उद्यमों को अन्य व्यावसायिक संगठनों या प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों के साथ विलयन और/या अर्जन के संबंध में सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है और वे यह निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं। उनकी वित्तीय स्थिति या नवरत्न/मिनी–रत्न की प्रतिष्ठा प्राप्त आदि को ध्यान में रखे बिना यह सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों पर लागू होंगे। विलयन और/या अर्जन के विषय में लिए गए निर्णय की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जैसे ये शक्तियाँ सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नवरत्नों/मिनी रत्नों को दी गई स्वायत्ता के अधीन होंगी।

3. उसी प्रकार, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नवरत्न और मिनी रत्न उद्यमों को तारीख 14.12.94 और 1.11.95 के लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. लो. उ. वि./ 4(6)/94 – वित्त व्याख्यायित अधिशेष निधियों के निवेश के लिए सरकारी दिशानिर्देशों में दी गई विस्तृत कार्यविधियों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में किसी भी सार्वजनिक उद्यम के लिए अलग से कोई प्रबंध उपलब्ध नहीं है (वित्तीय क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर जिनके विषय में अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, तारीख 2.7.96 के कार्यालय ज्ञापन सं. लो.उ.वि./4 (6)/94 – वित्त के अनुसार) और अधिशेष निधियों के निवेश पर दिए गए ये दिशानिर्देश नवरत्न और मिनी – रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होंगे।

4. प्रशासनिक मंत्रालय कृपया सरकारी निर्णय की अंतर्वस्तु को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जानकारी में लाएं।

(लोक उद्यम विभाग का तारीख 11 फरवरी, 2003 का कार्यालय ज्ञापन सं. 3 (2)/2003 लो.उ.वि. (वित्त)/जी एल XVI)